

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2015/फाल्गुन 22, 1936

No. 140]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2015/PHALGUNA 22, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2015

सा. का. नि. 186(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 206 (अ), दिनांक 21 मार्च, 2014 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गयी वस्तुओं के सिवाए, केंद्र सरकार एतद्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- (i) माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन, अध्यक्ष
- (ii) माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. आर. मिट्टा, सदस्य
- (iii) माननीय न्यायमूर्ति श्री जयंत नाथ, सदस्य

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2015 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. यू-11016/01/2011-पीआईटीएनडीपीएस]

विनेश पचनन्दा, अवर सचिव

पाद टिप्पणी: यह अधिसूचना सा. का. नि. 206 (अ), दिनांक 21 मार्च, 2014 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड-(i) में दिनांक 21 मार्च, 2014 को प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2015

G.S.R. 186(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. G.S.R. 206(E) dated 21st March, 2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year consisting of :—

- (i) Hon'ble Mr. Justice Manmohan, Chairperson
- (ii) Hon'ble Mr. Justice J.R. Midha, Member
- (iii) Hon'ble Mr. Justice Jayant Nath, Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2015.

[F. No.U-11016/01/2011-PITNDPS]

VINESH PACHNANDA, Under Secy.

Foot note.—The Notification G.S.R.206(E) dated 21st March, 2014 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on 21st March, 2014.